अध्याय IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

4.1 भूमि के पंजीकरण नहीं होने के कारण ₹ 2.91 करोड़ की हानि।

ससमय अपने नाम से भूमि के पंजीकरण करवाने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.91 करोड़ की हानि।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) की निदेशक मण्डल ने मालसलामी स्थित 1.48 एकड़ भूमि के क्रय हेतु, परन्तु इसपर चावल मिल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, मार्च 1983 में संकल्प पारित किया। यह भूमि पटना सिटी के कोष्ठागार (धान्य भण्डार) के सन्निकट था। कम्पनी ने ₹ 3.52 लाख के कुल प्रतिफल का भुगतान (जून 1983) श्रीकृष्ण गोशाला, (एस0के0जी0) को किया एवं 1.41 एकड़ भूमि का आधिपत्य ग्रहण (जनवरी 1984) किया। परन्तु कम्पनी ने 1998 तक भूमि विक्रय विलेख अपने नाम से पंजीकृत नहीं कराया। अक्टूबर 1998 में एस0के0जी0 ने कम्पनी से भूमि वापस करने का आग्रह किया चूंकि यह घाटे में चल रहा था।

अक्टूबर 1998 से मार्च 2006 के मध्य जिला प्रशासन को भूमि अपने नाम से पंजीकृत करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनेकानेक नैत्य आग्रहों एवं स्मारकों के अलावा कम्पनी ने इस मुद्दा का सक्रियता से अनुकरण नहीं किया। इस दौरान मे0 एस0के0जी0 ने ₹ 3.70 लाख की प्रतिफल राशि कम्पनी को लौटा दिया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2004) जिसे कम्पनी ने स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने इस विषय पर वैध परामर्शदाता से कानूनी परामर्श लिया (अगस्त 2005) जिन्हांने भूमि को अपने नाम से पंजीकृत करने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दाखिल करने हेतु विचार प्रकट किया। तथापि कम्पनी वाद दाखिल नहीं कर सका चूँकि भूमि का विक्रय एक सादे कागज पर अभिलेखित था (जनवरी 1984) जो कि न्यायालय में धारणीय नहीं था। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने निदेशक मण्डल के समक्ष ₹ 8.57 लाख के प्रतिफल (पिछले 27 वर्षों एवं चार महीनें हेतु साधारण ब्याज सम्मिलित) के विरूद्ध मे0 एस0के0जी0 को भूमि लौटाने का प्रस्ताव रखा (सितम्बर 2010)।

पिछले 27 वर्षो में कम्पनी ने भूमि को अपने नाम से पंजीकृत कराने एवं मे0 एस0के0जी0 द्वारा भूमि अधिग्रहण रोकने हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाया। भूमि अपने नाम से पंजीकृत कराने हेतु न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिए कम्पनी के पास उचित अभिलेख भी नहीं था।

कम्पनी ने भूमि के मौजूदा विक्रय मूल्य की जानकारी किए बिना इसको वास्तविक मूल्य एवं पाँच प्रतिशत साधारण ब्याज, यथा ₹ 0.09 करोड़, के योग पर भूमि मे0

एस0के0जी0 को लौटा दिया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 2.91[1] करोड़ की हानि हुई।

प्रबन्धन ने अपने जवाब में कहा (मई 2011) कि भूमि पंजीकरण करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी, पटना को अनेकानेक आग्रह किए गए थे लेकिन चूँकि अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, इसलिए भूमि का पंजीकरण नहीं कराया जा सका। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है चूँकि कम्पनी की गतिविधियाँ उसके सर्वोत्तम हित में नहीं थी तथा वर्षों तक भूमि का आधिपत्य, कानून की दृष्टि में, भूमि के स्वामित्व हेतु उचित साक्ष्य था। भूमि के अधिकरण के त्याग से कम्पनी को ₹ 2.91 करोड़ की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2011), उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)

बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

4.2 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अनुदान : ₹ एक करोड़

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के उल्लंघन में कम्पनी ने ₹ एक करोड़ का दान किया जो वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के प्रतिकूल था।

कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 293 (1) (ई) एक सार्वजनिक कम्पनी के निदेशक मण्डल के अधिकार को धमार्थ एवं अन्य कोष में दान देने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं है। कम्पनी ऐसी कोई भी राशि दान में दे सकता है जो किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार अथवा विगत तीन वर्षों के औसत लाभ का पाँच प्रतिशत, दोनों में जो अधिक हो, से अधिक न हो। जहाँ भी अंशदान उपर्युक्त सीमा से अधिक है, वहाँ कम्पनी की साधारण सभा की पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जाना चाहिए।

हमारे प्रेक्षण (जुलाई 2010) में पाया गया कि बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी), जो कि एक सार्वजनिक कम्पनी है, ने ₹ एक करोड़ (विगत तीन वर्षों के अपने औसत लाभ का 41.67 प्रतिशत) का अनुदान (सितम्बर 2008) मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। चूँकि अंशदान की यह राशि कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक था, इसकी पूर्वानुमति कम्पनी द्वारा साधारण सभा में ले ली जानी थी। परन्तु कम्पनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अतः वर्ष 2008–09 के दौरान कम्पनी द्वारा ₹ एक करोड़ का अंशदान न केवल अधिनियम के उल्लंघन में था बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता के व्यवस्था के प्रतिकूल भी था।

प्रबन्धन ने राहत कोष में अनुदान को न्यायोचित ठहराते हुए कहा (दिसम्बर 2011) कि बिहार सरकार एवं झारखण्ड सरकार के बीच कम्पनी के हिस्से के बँटवारा नहीं होने के कारण कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक दिसम्बर 2007 से ही आहूत नहीं हो पाई। तथापि कम्पनी ने यह भी कहा कि निदेशक मण्डल ने संकल्प लिया है (नवम्बर 2011) कि इस विषय को भविष्य में आहूत वार्षिक साधारण सभा में भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन लेने हेतु उपस्थापित किया जाएगा। जवाब कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के

---

[1] भूमि का बाजार मूल्य जैसे कि ₹ 2,99,62,500– प्राप्त प्रतिफल जैसे कि ₹ 8,57,000 = ₹ 2,91,05,500।

अनुसार नहीं है, चूँकि यह अंशदान आरम्भ से ही अनियमित था एवं अधिनियम साधारण सभा में भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन के माध्यम से इसके घटनोत्तर नियमन की स्वीकृत नहीं प्रदान करता है।

कम्पनी को, धर्मार्थ एवं अन्य कोष में दान, जो कि कम्पनी के व्यवसाय या उसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध न हो, देने से पूर्व, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन को, सुनिश्चित करना चाहिए था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2011), उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

4.3 मुद्रित पाठ्य–पुस्तकों के ससमय सुपुर्दगी में विफलता के फलस्वरूप ₹ 4.76 करोड़ का निष्फल व्यय।

शैक्षणिक वर्ष एवं पाठ्यक्रम के संशोधन से पूर्व पाठ्य–पुस्तकों के ससमय आपूर्ति में कम्पनी की विफलता ₹ 4.76 करोड़ के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि0शि0प0प0) ने सर्वशिक्षा अभियान (स0शि0अ0) 2009–10 के लिए वर्ग एक से लेकर आठवी वर्ग के 9.66 करोड़ पाठ्य–पुस्तकों के मुद्रण, पैकिंग एवं सुपुदर्गी हेतु बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड को आदेश (अक्टूबर 2008) दिया। चूँकि ये पुस्तकें शैक्षणिक वर्ष 2009–10 में प्रयुक्त होनी थी, इनके सुपुर्दगी की नियत तिथि 15 मार्च 2009 थी। यद्यपि पाठ्य–पुस्तकों के मुद्रण एवं सुपुर्दगी हेतु उपलब्ध समय मात्र पाँच माह था जो कि आदेश के परिमाण को देखते हुए अपर्याप्त था, तथापि, कम्पनी ने निजी मुद्रकों को मुद्रण आदेश निर्गत (दिसम्बर 2008) किया।

हमने प्रेक्षण में पाया (जुलाई 2010) कि कम्पनी मार्च 2009 की नियत समयावधि में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मुद्रित पाठ्य–पुस्तकें सुपुर्द नहीं कर सका। इसके बजाय कम्पनी ने पुस्तकों के सुपुर्दगी हेतु समय विस्तार के लिए बि0शि0प0प0 अनेकानेक आवेदन किया जिसमें अंतिम विस्तारित समय 15.11.2009 तक प्रदान किया गया। इसी दौरान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना ने शैक्षणिक वर्ष 2010–11 से वर्ग I, III एवं VI के हेतु नवीन पाठ्यक्रम के लागू होने की सूचना दी (अगस्त 2009)।

समय विस्तार प्रदान होने एवं पाठ्यक्रम संशोधन के पूर्व सूचना के बावजूद कम्पनी पाठ्य–पुस्तकों का ससमय मुद्रण एवं पैकिंग सुनिश्चित नहीं करा सका। इसके फलस्वरूप ₹ 4.76 करोड़ मूल्य की 27.28 लाख वर्ग I, III एवं VI की पुस्तकें कम्पनी के पास पड़ी रह गई जो कि अप्रचलित एवं अप्रासंगिक हो गईं। चूँकि ये पुस्तकें अप्रयुक्त रह गई, कम्पनी ने इन पुस्तकों के निपटान हेतु इन पुस्तकों को समाज के निर्धन बच्चों में वितरण करने का निर्णय लिया (जुलाई 2010)।

ससमय पुस्तकों की सुपुर्दगी में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा किया गया ₹ 4.76 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

प्रबन्धन ने अपने जवाब (अक्टूबर 2010) में कहा कि समय के दबाव एवं अन्य कारणों जैसे स्थानाभाव, पैकिंग की जटिल प्रकृति, संसदीय चुनाव एवं कुछ जिलों में बाढ़, इत्यादि के फलस्वरूप मुद्रित पाठ्य–पुस्तकें सुपुर्द नहीं की जा सकी। पाठ्यक्रम के

संशोधन की जानकारी के बावजूद कम्पनी सुपुर्दगी की समय सूची को सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अलावा, कम्पनी पुस्तकों के सुपुर्दगी में विलम्ब हेतु निजी मुद्रकों के साथ अनुबन्ध में दण्डात्मक उपवाक्य अथवा परिसमापन क्षति उपवाक्य शामिल नहीं करने के कारण अपने वित्तीय हितों की रक्षा नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.76 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड

4.4 अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तो के अनुपालन में विफलता के कारण प्राप्यों की वसूली न होना।

ऋण अनुबन्धों के नियमों एवं शर्तो के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 15.08 करोड़ की प्राप्य राशि वसूली नहीं हो सका।

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (कम्पनी) कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है। भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना[2] के माध्यम से यह घोषणा किया कि चूँकि कम्पनी वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है, इसलिए राज्य वित्तीय अधिनियम (रा0वि0नि0) 1951 की धारा 29, 30, 31, 32, 32 (क), 32 (ख), 32 (ग) एवं 32 (घ) भी कम्पनी पर लागू होंगी। कथित रा0वि0नि0 की धारा 29 वित्तीय निगम को चूककर्त्ता औद्योगिक ईकाई का प्रबन्धन अथवा स्वामित्व को नियंत्रण में लेने अथवा निगम को प्रतिभूति में अथवा निर्दिष्ट सम्पत्तियों का नियंत्रण अथवा स्थानांतरण करने हेतु अधिकृत करता है। तद्‌पुरांत नियंत्रण में ली गई इकाईयों का विक्रय अथवा निलामी चूककर्त्ता इकाईयों से प्राप्य राशि की वसूली हेतु की जाती है। वैसी स्थिति में जहाँ विक्रय से प्राप्य राशि की पूर्ण वसूली नहीं हो पाती है तो शेष प्राप्य राशि संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा संवर्धक/निदेशक/प्रत्याभूति दाता के व्यक्तिगत गारण्टी का आह्वाहन कर वसूली जानी थी।

हमने प्रेक्षण में पाया (जून 2011) कि ₹ 17.31 करोड़ करोड़ प्राप्य राशि के विरूद्ध कम्पनी ने 2002–09 की अवधि में नौ औद्योगिक इकाईयों का विक्रय किया जिसमें छः[3] औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध ₹ 2.23 करोड़ की राशि (अर्थात् 12.9 प्रतिशत) प्राप्त हुई। शेष ₹ 15.08 करोड़ प्राप्य राशि की वसूली हेतु कम्पनी को संवर्धक/निदेशक के अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित व्यक्तिगत गारण्टी का आह्वान करना चाहिए था। तथापि विक्रय किए गए नौ औद्योगिक इकाईयों में शामिल छः इकाईयों में कम्पनी ने विक्रय की तिथि से दो वर्षो से लेकर आठ वर्षो तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किया। अतः ऋण अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तो के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप मार्च 2011 तक ₹ 15.08 करोड़ प्राप्य राशि की वसूली नहीं हो सका।

प्रबन्धन ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2011) कि नौ औद्योगिक इकाइयों के मद में बकाए राशि की वसूली हेतु पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी (पी0डी0आर0) वाद दाखिल कर एवं संवर्द्धकों/निदेशकों के व्यक्तिगत गारण्टी का आह्वाहन कर कार्रवाई कर ली गई

---

2 अधिसूचना सं0 एफ. 6 (1)/88–आई एफ. II दिनांक 29.02.1988।

3 मे0 बाला पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मे0 भगवती सौल्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड; मे0 एलेन ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड; मे0 एम एस एल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड; मे0 जी आर मैगनेट्स प्राइवेट लिमिटेड; मे0 आदर्श पेपर बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड।

है। जवाब सही नहीं था चूँकि संवर्द्धकों/निदेशकों के व्यक्तिगत गारण्टी का आह्वान नौ इकाईयों में से केवल तीन औद्योगिक इकाईयों में किया गया था एवं उपर्युक्त दर्शित छः औद्योगिक इकाईयाँ इनके आह्वाहन योग्य न माने जाने के कारण, छोड़ दी गई थी। अतः वांछित कानूनी उपायों के अभाव में, शेष बकाया राशि ₹ 15.08 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

4.5 लेबर सेस के कटौती नहीं करने से अनुचित दायित्व का सृजन

लेबर सेस के लागू नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 8.19 करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन।

बिहार सरकार ने जैसा कि, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी सेस अधिनियम, 1996, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना[4] में विचारित है, असाधारण राजपत्रित अधिसूचना[5] के माध्यम से लेबर सेस लागू किया। अधिनियम नियोक्ता द्वारा निर्माण मद में किए गए व्यय का एक प्रतिशत के दर से सेस के कटौती हेतु निर्दिष्ट करता है। तद्नुसार निर्माण कार्य में संलग्न सभी सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कार्यकारी अभिकरणों के विपत्रों से निर्दिष्ट दर पर लेबर सेस की कटौती करते हुए कटौती की तिथि से तीस दिनों की अवधि में क्रॉस्ड् डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से इसकों "भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याणकारी बोर्ड"(कल्याणकारी बोर्ड) को जमा कर देना चाहिए था। यदि कोई नियोक्ता निर्दिष्ट समय में लेबर सेस के भुगतान में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता प्रत्येक माह एवं माह के अंश अवधि हेतु दो प्रतिशत के दर से लेबर सेस के वास्तविक भुगतान होने तक ब्याज भुगतान हेतु जवाबदेह होगा।

हमने प्रेक्षण में पाया (जून 2011) कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0पु0नि0नि0) के तीन[6] प्रमण्डल एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि0पु0भ0नि0नि0) का पटना प्रमण्डल, अप्रैल 2008 से, लेबर सेस की वैधानिक कटौती नहीं कर रहे थे। यद्यपि बि0रा0पु0नि0नि0 ने फरवरी 2010 से कटौती करना आरम्भ कर दिया परन्तु बि0पु0भ0नि0नि0 ने अभी तक (नवम्बर 2011) कटौती करना आरम्भ नही किया था। फलस्वरूप संवेदकों के विपत्रों से सम्बन्धित प्राधिकरणों के पास जमा हेतु ₹ 5.60[7] करोड़ राशि की कटौती नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ₹ 2.59[8] करोड़ राशि के दण्ड ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो गया। इस तरह

---

4 अधिसूचना सं0ः 865 दिनांक 4 अप्रैल 2008।

5 केन्द्रीय राजपत्रित अधिसूचना सं0ः एस0ओ0 2899 दिनांक 26 सितम्बर 1996 ।

6 पटना–I, पटना–II एवं बि0रा0पु0नि0नि0 का पथ प्रमण्डल।

7 अप्रैल 2008 से जनवरी 2010 तक बि0रा0पु0नि0नि0 मद में ₹ 5.11 करोड़ के लेबर सेस की राशि एवं अप्रैल 2008 से मार्च 2011 तक बि0पु0भ0नि0नि0 के मद में ₹ 0.49 करोड़ के लेबर सेस की राशि सम्मिलित।

8 अप्रैल 2008 से जनवरी 2010 तक बि0रा0पु0नि0नि0 के मद में ₹ 2.48 करोड़ का दण्ड ब्याज एवं अप्रैल 2008 से मार्च 2011 तक बि0पु0भ0नि0नि0 के मद में ₹ 0.11 करोड़ का दण्ड ब्याज सम्मिलित।

लेबर सेस एवं उस पर ब्याज के मद में (मार्च 2011 तक) श्रम विभाग, बिहार सरकार को ₹ 8.19 करोड़ राशि के भुगतान हेतु अनुचित दायित्व का सृजन हो गया **(परिशिष्ट–19)**। इस प्रकार कम्पनियों पर ₹ 8.19 करोड़ के परिहार्य दायित्व का भार पड़ गया।

बि0रा0पु0नि0नि0 ने सूचित किया (जुलाई 2011) कि उन्होंने लेबर सेस की कटौती फरवरी 2010 से आरम्भ कर दिया था।

अधिनियम की धाराओं के अनुपालन में कम्पनी द्वारा विलम्ब से की गई कार्रवाई से ₹ 8.19 करोड़ के परिहार्य दायित्व में परिणत हुआ।

बि0पु0भ0नि0नि0 का जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4.6 चल एवं अचल सम्पतियों की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त व्यवस्था।

अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के परिणामस्वरूप ₹ 21.32 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति का अतिक्रमण हुआ

मध्यम एवं वृहत् औद्योगिक इकाई के प्रोत्साहन, सृजन एवं निष्पादन के उद्देश्य से बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का संस्थापन 5 नवम्बर 1960 को हुआ था। वित्तीय संकट एवं अप्रचलित तकनीक के कारण कम्पनी 1991–92 से अकार्यशील बन गया था। कम्पनी के लेखाओं का अन्तिमीकरण एवं लेखापरीक्षा वर्ष 1987–88 तक हुआ था लेकिन वार्षिक आम सभा में इसकी स्वीकृति अभी तक ली जानी बाकी है (दिसम्बर 2011)।

31 मार्च 1988 को अन्त हुए वर्ष के प्रमाणित लेखाओं के अनुसार कम्पनी के पास कुल ₹ 4.19[9] करोड़ की सम्पत्तियाँ थी। कम्पनी के वार्षिक लेखे (1997–98) की लेखापरीक्षा ने कम्पनी के चल एवं अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु समुचित अभिलेखों के संधारण में कम्पनी की निम्नांकित त्रुटियाँ एवं पर्याप्त कार्रवाइयों के अभाव को दर्शित किया:

सम्पत्ति अभिलेखों का अपर्याप्त संधारण एवं सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन।

वैज्ञानिक एवं कुशल आन्तरिक नियंत्रण पद्धति हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (सी) के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थायी सम्पत्तियों की पंजी का संधारण अनिवार्य है। अपने प्रत्येक सम्पत्ति हेतु विभिन्न विवरण जैसे उनकी अवस्थिति, वास्तविक मूल्य, संचित ह्रास, तकनीकी एवं यांत्रिक विशिष्टीकरण, पहचान संख्या इत्यादि को दर्शित करते हुए कम्पनी को अभिलेखों का संधारण करना चाहिए था। हमारी संवीक्षा (जून 2011) से यह पता चला कि पर्याप्त एवं आवश्यक सूचना को दर्शित करने वाले पर्याप्त एवं अद्यतन अभिलेखों का संधारण कम्पनी ने नहीं किया था।

नियमित समय अन्तराल पर सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन आन्तरिक नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण यंत्र है चूँकि यह कम्पनी के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों की उपलब्धता को

[9] अचल सम्पत्तियाँ ₹ 2.98 करोड़ एवं चल सम्पत्तियाँ ₹ 1.21 करोड़।

सुनिश्चित करती है, सम्पत्तियों के क्षति/चोरी एवं अधिग्रहण के जोखिम को कम करती है जिनसे प्रबन्धन ससमय उपचारात्मक कदम उठा सके।

हमने प्रेक्षण में पाया कि कम्पनी ने अपनी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कई वर्षो से नहीं कराया था जिसके फलस्वरूप कम्पनी को अपनी सम्पत्तियों के मामले में अनियमितताओं की जानकरी नहीं थी। इस दिशा में कम्पनी की उदासीनता के फलस्वरूप कम्पनी की सम्पत्तियाँ चोरी/अधिग्रहण के जोखिम का शिकार हुई।

अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण ₹ 21.32 करोड़ की सम्पत्तियों का अधिग्रहण।

कम्पनी की अचल सम्पत्तियाँ (जैसे कि भूमि एवं भवन) की सुरक्षा एवं देख–रेख हेतु समुचित व्यवस्था कम्पनी को भूमि एवं भवन की उन्मुक्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु अति आवश्यक है। तथापि हमारी संवीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न स्थानों/कम्पनी की इकाइयों में ₹ 550.71 करोड़ (मौजूदा बाजार मूल्य) की 435 एकड़ की भूमि की देख–रेख के लिए कम्पनी ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं किया जिसके फलस्वरूप यह भूमि अधिग्रहणों का शिकार हुआ जैसे कि नीचे दर्शाया गया हैः

अ. हाई टेन्शन इन्सुलेटर फैक्टरी (एच0टी0आई0एफ0), नामकुम, राँची

अ. (1) झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा0रा0वि0बो0) जो तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का एक अंग था, ने कम्पनी के ₹ 13 करोड़ (मौजूदा बाजार मूल्य) के 11.39 एकड़ भूमि पर एक ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण, कम्पनी को बिना कोई भुगतान किए एवं भूमि के विक्रय/लीज/स्थानांतरण हेतु बिना कोई औपचारिक अनुबन्ध किए, कर दिया था। तथापि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने मामले में हस्तक्षेप करते हेतु झा0रा0वि0बो0 को भूमि को लीज पर लेने हेतु कम्पनी से सम्पर्क करने हेतु आदेश दिया (मार्च 2005)। लेकिन झा0रा0वि0बो0 ने न तो कम्पनी को कोई भुगतान किया (मई 2011) और न भूमि के अनुबन्ध हेतु कम्पनी से कोई सम्पर्क किया। इस तरह कम्पनी के ₹ 13 करोड़ की 11.39 एकड़ की भूमि, झा0रा0वि0बो0 के आधिपत्य/अधिग्रहण में थी तथा यह भूमि जिसका उपयोग दूसरी कम्पनी द्वारा किया जा रहा था, उस पर कम्पनी को किसी प्रकार का मौद्रिक आय नहीं हो रहा था।

अ. (2) कम्पनी का हाई टेन्शन इन्सुलेटर फैक्टरी, राँची का 40,000 वर्ग फुट (0.92 एकड़) जमीन भूतपूर्व कमचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के परिवारों/बाहरी व्यक्तियों द्वारा 15 या अधिक वर्षो से अधिग्रहित कर लिया गया था। तथापि कम्पनी भूमि खाली कराने हेतु कोई प्रभावकारी कदम उठाने में विफल रहा। इस तरह ₹ 1.63 करोड़ का एक वृहत् क्षेत्र/भूमि दूसरों के अधिग्रहण में था (मई 2011)।

अ. (3) कम्पनी को बिना कोई भुगतान किए एवं बिना कोई औपचारिक अनुबन्ध किए कम्पनी के ₹ 5.69 करोड़ की 5 .9 एकड़ भूमि पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक ई0एस0आई0 अस्पताल का निर्माण किया।

ब. बिहार स्टेट सुपर–फॉस्पेट फैक्टरी, सिन्दरी

कम्पनी का आधा एकड़ (50 डिसमिल) आवासीय क्षेत्र, जिसकी कीमत ₹ एक करोड़ है, का अधिग्रहण भूतपूर्व कर्मचारियों/बाहरी व्यक्तियों द्वारा वर्ष 2000 से कर लिया गया। कम्पनी ने अपनी आवासीय भूमि/क्षेत्र को खाली कराने हेतु कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया था (जून 2011) ।

पूर्वोक्त से यह स्पष्ट है कि कम्पनी का 18.71 एकड़ भूमि, जिसका मूल्य ₹ 21.32 करोड़ था, दूसरों के अधिग्रहण में थी। अधिग्रहित भूमि के प्राप्ति हेतु पर्याप्त कदम उठाने में कम्पनी की विफलता वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु कदम उठाने में कम्पनी की विफलता में परिणत हुआ। साथ ही विषम अधिग्रहण के सिद्धांत के अनुसार इन भूमियों के क्षति की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जब–जब अधिग्रहित भूमियों से जुड़े मुद्दे न्यायालय में चुनौती हेतु उठाए जाएंगे।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

नौ सरकारी कम्पनियाँ

4.7 कर्मचारी भविष्य निधि में अत्यधिक अंशदान का परिहार्य व्यय

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के उल्लंघन में नौ[10] सरकारी कम्पनियों ने भविष्य निधि में ₹ 4.15 करोड़ का अत्यधिक नियोक्ता अंशदान जमा किया।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अनुसार नियोक्ता का दायित्व भविष्य निधि में अंशदान मूल वेतन, महँगाई भत्ता, भोजन रियायत का रोकड़ मूल्य एवं रिटेनिंग भत्ता का 12 प्रतिशत की दर से करना था। आगे कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की अध्याय–IV की कंडिका 26 क (2) में प्रावधानित है कि यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन ₹ 6,500 से अधिक है, तो वैसी स्थिति में नियोक्ता अंशदान ₹ 6,500 की मासिक वेतन पर सीमित की जाएगी। तद्नुसार, योजना के दायरे में आने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अपना अंशदान अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा तक सीमित करना था।

हमने प्रेक्षित किया (जून 2011) कि नौ सरकारी कम्पनियों ने नियोक्ता अंशदान को ₹ 6,500 के मासिक वेतन पर बिना सीमित किए 12 प्रतिशत की दर से जमा किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2006–11 में नियोक्ताओं द्वारा ₹ 4.15 करोड़ का अत्यधिक अंशदान जमा हुआ। (ब्यौरा **परिशिष्ट–20** में दिया गया है)।

नौ कम्पनियों में से छः कम्पनियों से जवाब प्राप्त हुए जिनका ब्योरा निम्नवत् हैः

(क) बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (सितम्बर 2011) नियोक्ता अंशदान को ₹ 6,500 के मासिक वेतन पर सीमित करने हेतु आदेश पारित किया।

(ख) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2011) कि वैधानिक सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कंडिका 26क (2) के उल्लंघन में नहीं था एवं माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा

---

[10] (i) बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड, (ii) बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, (iii) बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, (iv) बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड, (v) बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, (vi) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड,(vii) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, (viii) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, एवं (ix) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड।

पारित आदेश (एन0 विजयन एवं अन्य बनाम सरकार, कृषि (डेयरी) विभाग एवं अन्य के सचिव) कि कर्मचारी वैधानिक सीमा से अधिक अंशदान कर सकता है और यह नियोक्ता पर समान अंशदान जमा करने हेतु कोई दायित्व का सृजन नहीं करेगा के अनुसार विधिसम्मत था। तथापि नियोक्ता अपनी स्वेच्छा से वैधानिक सीमा से अत्यधिक अंशदान जमा कर सकता है।

(ग) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम ने अपने जवाब में कहा (दिसम्बर 2011) कि कम्पनी ने तय वेतन सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करने वाली कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की धारा 26 (6) के अनुसार एक कार्यालय आदेश निर्गत किया था एवं तत्पश्चात क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को तय वेतन सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान के भुगतान की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया (मई 2011) जो अभी भी विचाराधीन है।

(घ) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार ने अपने–अपने जवाब में कहा (दिसम्बर 2011) कि कम्पनी ने निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान के सन्दर्भ में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना से दिशा–निर्देश माँगा है जो अप्राप्त था।

(ड.) शेष दो[11] कम्पनियों ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की धारा 11(3) के उपबन्धों का सन्दर्भ किया जो यह कहता है कि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ₹ 6,500 के मासिक वेतन तक सीमित रहेगा यदि नियोक्ता एवं कर्मचारी के विकल्प पर इस योजना के शुरूआत से अथवा उस तिथि से जब मासिक वेतन ₹ 6,500 से अधिक है, जो भी बाद में है, अंशदान ₹ 6,500 के मासिक वेतन से अधिक भुगतान किया गया है एवं नियोक्ता अंशदान का 8.33 प्रतिशत पेंशन निधि में जमा किया जाता है तो अधिकतम वेतन पर पेंशनयोग्य वेतन आधारित रहेगा। अतः इस प्रकार कम्पनियों ने अधिनियमों के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया था।

शेष तीन कम्पनियों ने अपना जवाब समर्पित नहीं किया था (दिसम्बर 2011)।

क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना ने स्पष्ट करते हुए कहा (दिसम्बर 2011) कि निर्दिष्ट सीमा के ऊपर एवं अधिक अंशदान पर प्रशासनिक शुल्क के भुगतान हेतु नियोक्ता के साथ सम्मिलित आवेदन प्रस्तुत करने पर कर्मचारी भविष्य निधि का कोई भी सदस्य निर्दिष्ट सीमा से अधिक अंशदान जमा कर सकता है। तथापि वैसे तिथि से ही न कि उसके बाद की तिथि से, जब किसी कर्मचारी का वेतन निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया है, पेंशन अंशदान के लिए समान उपबंध लागू थी। अपितु कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड स्कीम में नियोक्ता द्वारा देय अंशदान एवं प्रशासनिक शुल्क निर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित रहेगा।

उपरोक्त कम्पनियों द्वारा समर्पित जवाब मान्य नहीं थे चूँकि योजना की धारा 26 क (2) के अनुसार वैधानिक सीमा से अधिक अंशदान हेतु नियोक्ता उत्तरदायी नहीं थे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

---

11 बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड।

सांविधिक निगम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.8 बोर्ड को हानि

एन0आई0टी0 एवं क्रय आदेश उपवाक्य के अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ की हानि

बोर्ड ने मे0 ईस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड एवं मे0 आनंद ट्रान्सफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड को क्रमशः 35 एवं 20 ट्रान्सफॉर्मर के क्रय हेतु क्रयादेश दिया (जून 2008)। क्रय आदेश के नियमानुसार ट्रान्सफॉर्मर का दर अगस्त 2007 आधारित नियत तिथि वाली आई0ई0ई0एम0ए0[12] प्राईस वेरियेशन सर्कुलर के अनुसार परिवर्तनीय आधार पर उद्धरित किया जाना था। एन0आई0टी0 के उपवाक्य 31 (बी) (ii) के अनुसार ''सुपुर्दगी विलम्ब की स्थिति में, सांविधिक सुपुर्दगी की तिथि अथवा वास्तविक सुपुर्दगी तिथि में जो भी क्रयदाता के लिए लाभकारी हो, के आधार पर परिवर्तनीय मूल्य के भुगतान का अधिकार क्रयदाता के पास होगा''। साथ ही आई0ई0ई0एम0ए0 प्राईस वेरियशन सर्कुलर के अनुसार ट्रान्सफॉर्मर के निरीक्षण/सम्प्रेषण के पूर्ण होने की अधिसूचित तिथि अथवा सांविदिक तिथि, दोनों में से जो पहले होगी, सुपुर्दगी की तिथि होगी।

मे0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड ने क्रयादेश के निर्गत तिथि से दो माह के अन्दर (पहले माह में 15 ट्रान्सफॉर्मर एवं 20 ट्रान्सफॉर्मर दूसरे महीने में) एवं मे0 आनन्द ट्रान्सफॉर्मर ने चार माह के अन्दर (बिना आपूर्ति सूची के) ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति किया।

हमने प्रेक्षित किया (जनवरी 2011) कि बोर्ड के मुख्य अभियन्ता, भण्डार एवं क्रय को 17 ट्रान्सफॉर्मर[13] विलम्ब से आपूर्ति किए गए थे। तथापि मुख्य अभियन्ता , भण्डार एवं क्रय ने नियत सुपुर्दगी तिथि के अनुसार गणना कर भुगतान निर्गत किया जो वास्तविक सुपुर्दगी तिथि के दौरान मौजूदा दर से अधिक था। ऐसा करना ₹ 0.53 करोड़ (₹ 0. 49 करोड़ आपूर्तिकर्ता को एवं ₹ 0.04 करोड़ प्रवेश कर के रूप में) के अधिक भुगतान के रूप में परिणत हुआ (**परिशिष्ट–21**)।

बोर्ड ने जवाब में कहा (जून 2011) कि आपूर्तिकर्ता को एन0आई0टी0 एवं आई0ई0ई0एम0ए0 सर्कुलर के अनुसार भुगतान किया गया था।

बोर्ड का तर्क मान्य नहीं है चूँकि आई0ई0ई0एम0ए0 सर्कुलर सुपुर्दगी तिथि के निर्धारण से सम्बन्धित है और आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्बित सुपुर्दगी की स्थिति में बोर्ड को ट्रान्सफॉर्मर के मूल्य की गणना एन0आई0टी0 उपवाक्य 31 (बी)(ii) के अनुसार करना चाहिए था, जिसे बोर्ड ने नहीं किया। निरीक्षण हेतु ट्रान्सफार्मरों की तैयारी की अधिसूचना नियत आपूर्ति तिथि से दो से लेकर आठ महीने के विलम्ब से की गई थी। ऐसा करना आपूर्तिकर्ता को ₹ 0.53 करोड़ के अधिभुगतान में परिणत हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2011); उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

---

12 इन्डियन इलेक्ट्रीकल इक्विपमेंट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन।

13 मे0 ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड का 13 ट्रान्सफॉमर, मे0 आनन्द ट्रान्सफॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड का चार ट्रान्सफार्मर।

4.9 एनर्जी मीटरों के क्रय में हानि

क्रयादेश की समीक्षा एवं सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के क्रय में रियायत का लाभ लेने में बोर्ड की विफलता के कारण ₹ 0.78 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(क) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा अपनाई गई बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2005 के अनुसार सामग्रियाँ प्रत्यक्ष तरीके से आपूर्तिकर्ता से उस दर पर प्राप्त की जा सकती है जो डायरेक्टरेट जेनेरल ऑफ सप्लाईस एण्ड डिस्पोजल्स (डी0जी0एस0 एवं डी0) के दर से अधिक न हो। बोर्ड की केन्द्रीय क्रय समिति ने 24 सितम्बर 2010 को डी0जी0एस0 एवं डी0 दर पर पाँच आपूर्तिकर्ताओं से सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर क्रय हेतु निर्णय लिया। 29 सितम्बर 2010 को बोर्ड ने क्रयादेश निर्गत किया जिसका विवरण **परिशिष्ट–22** में दिया गया है। सामग्रियों की सुपुर्दगी क्रयादेश तिथि से चार महीने के अन्दर पूर्ण की जानी थी। उपरोक्त दर 30 सितम्बर 2010 तक मान्य था एवं 1 अक्टूबर 2010 से दरों का पुर्नरीक्षण होना था।

उपरोक्त क्रयादेश के विरूद्ध, मे0 मैक्सवेल इण्डिया ने मीटरों की आपूर्ति नहीं की। 5 अक्टूबर 2010 को अन्य आपूर्तिकर्ता मे0 कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड ने बोर्ड को क्रयादेश के समीक्षा हेतु निवेदन किया चूँकि डी0जी0एस0 एवं डी0 ने एनर्जी मीटर के ₹ 439 के दर को अधिक मानते हुए ₹ 405 के दर को सही माना था। बोर्ड ने आपूर्तिकर्ता के इस प्रस्ताव का संज्ञान नहीं लिया और न ही आपूर्तिकर्ता ने मीटरों की आपूर्ति की। दिसम्बर 2010 से अप्रैल 2011 की अवधि में आदेशित मात्रा 1,08,000 मीटर के विरूद्ध शेष तीन आपूर्तिकर्ता मे0 एलाईड इन्जीनियरिंग वर्क्स, मे0 इन्डोटेक स्विच गीयर एण्ड कन्ट्रोल प्राईवेट लिमिटेड एवं मे0 नकोडा मीटर्स ने 1,07,900 मीटरों की आपूर्ति की। इन मीटरों के आपूर्ति के विरूद्ध आपूर्तिकर्ताओं को प्रति मीटर ₹ 450 तथा कर–राशि के दर पर पूर्ण भुगतान कर दिया गया। तथापि मे0 नकोडा मीटर्स द्वारा आपूर्ति किए गए 36,000 मीटरो में से केवल 28,000 मीटरों के लिए ही भुगतान किया गया था।

हमने प्रेक्षित किया कि अक्टूबर 2010 को सिंगल फेज एनर्जी मीटर दर का पुर्नरीक्षण होना था। मे0 कैपिटल पावर सिस्टम लिमिटेड ने भी शीघ्र वैसे समय बोर्ड को क्रयादेशों की समीक्षा हेतु आवेदन किया था जब किसी भी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मीटरों की आपूर्ति नहीं की गई थी। 18.10.2010 को डी0जी0एस0 एवं डी0 ने मीटरों के दरों का पुर्नरीक्षण कर दिया जो ₹ 404 एवं ₹ 405 तथा कर–राशि के परास में था। अतः क्रयादेश की समीक्षा एवं आपूर्तिकर्ताओं से इस विषय पर विचार करना बोर्ड के लिए अति आवश्यक हो गया था। इसके अलावा बोर्ड के हितों की रक्षा हेतु क्रयादेशों के निरस्त अथवा संशोधन हेतु कोई उपबंध क्रयादेश में शामिल नहीं किया गया था। अतः कम डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों का लाभ लेने हेतु क्रयादेश की समीक्षा का अभाव ₹ 0.59 करोड़ के परिहार्य व्यय में परिणत हुआ।

बोर्ड ने जवाब में कहा (दिसम्बर 2011) कि आपूर्तिकर्ताओं को क्रयादेश डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों पर निर्गत किया था जो कि 30.09.2010 तक ही लागू था। साथ ही पूर्व में मौजूदा डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों पर निर्गत क्रयादेश का संशोधन अक्टूबर 2010 से लागू डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों के आधार पर करना सम्भव नहीं था। वास्तविकता यह है कि बोर्ड ने आपूर्तिकर्ताओं को निर्गत क्रयादेशों की समीक्षा/संशोधन डी0जी0एस0 एवं डी0 के पुर्नरीक्षित दरों के सन्दर्भ में नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 0.59 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(ख) प्रति मीटर ₹ 450 तथा कर–राशि के दर पर बोर्ड ने 3,55,000 सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटरों के क्रय हेतु दिसम्बर 2010 में 50,000 मीटरों, फरवरी 2011 में 1,25,000 मीटरों और मई 2011 में 1,80,000 मीटरों हेतु क्रयादेश निर्गत किया जिनका विवरण **परिशिष्ट–23** में दिया गया है। क्रयादेश के विरूद्ध मे0 एलाईड इन्जीनियरिंग वर्क्स ने 82000 मीटरों एवं मे0 बेन्टेक्स कन्ट्रोल एण्ड स्वीचगीयर कम्पनी ने 68,000 मीटरों का आपूर्ति किया (सितम्बर 2011)। इनके विरूद्ध प्रति मीटर ₹ 405 तथा कर–राशि (अर्थात् ₹ 492.37) दर के आधार पर मे0 एलाईड इन्जीनियरिंग वर्क्स (31,719 मीटरों हेतु) एवं मे0 बेन्टेक्स (36,000 मीटरों हेतु) भुगतान किए गए।

हमने प्रेक्षित किया कि मे0 बेन्टेक्स का डी0जी0एस0 एवं डी0 दर संविदा न्यूनतम 2000 मीटरों की आपूर्ति हेतु ₹ 10 प्रति मीटर स्लैब डिस्काउन्ट प्रदान कर रहा था। यह पार्टी 4 से 5 लाख मीटरों की आपूर्ति करने के लिए तैयार था। ₹ 10 के डिस्काऊन्ट को ध्यान में रखते हुए मे0 बेन्टेक्स का प्रति मीटर दर ₹ 405 की अपेक्षा ₹ 395 था। बोर्ड ने इन तथ्यों को दरकिनार करते हुए ₹ 405 तथा कर–राशि के दर के आधार पर मीटरों का क्रय आदेश निर्गत किया एवं 1.50 लाख मीटरों की आपूर्ति पर ₹ 0.19 करोड़ का परिहार्य व्यय किया (सितम्बर 2011)।

बोर्ड ने जवाब (दिसम्बर 2011) में कहा कि डी0जी0एस0 एवं डी0 द्वारा निर्दिष्ट विशिष्टीकरणों में अतिरिक्त आवश्यकताओं/विशिष्टीकरणों का समावेश कर, जिसे गारण्टीड टेक्नीकल पर्टीकुलर्स (जी0टी0पी0) के नाम के जाना जाता है, क्रयादेश निर्गत किया गया था। तथापि डी0जी0एस0 एवं डी0 के वेबसाईट पर चिह्नित स्लैब डिस्काउन्ट केवल डी0जी0एस0 एवं डी0 द्वारा निर्धारित विशिष्टीकरणों के लिए मान्य था और कोई भी आपूर्तिकर्ता जी0टी0पी0 सहित मीटरों की आपूर्ति रियायत पर करने को तैयार नहीं था। जवाब संतोषजनक नहीं था चूँकि डी0जी0एस0 एवं डी0 दरों पर मीटरों का बिना निविदा किए आपूर्तिकर्ता से सीधे तौर पर क्रय केवल डी0जी0एस0 एवं डी0 की तकनीकी विशिष्टीकरणों के अनुसार किया जा सकता है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2011); जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2011)।

सामान्य

4.10 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखा परीक्षण के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से संवादित किया जाता है। सा0क्षे0उ0 के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर छः हफ्तों के अन्दर देना होता है। मार्च 2011 तक 22 सा0क्षे0उ0 को निर्गत नि0प्र0 से यह स्पष्ट होता है कि 589 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बद्ध 1462 कंडिकाएँ सितम्बर 2011 तक लम्बित थीं। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से पाँच वर्षो तक अनुत्तरित थीं। 30 सितम्बर 2011 तक लम्बित नि0प्र0 एवं लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का विभागवार ब्योरा **परिशिष्ट–24** में दी गयी है।

उसी प्रकार सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धसरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गए । अपितु यह पाया गया कि अप्रैल से नवम्बर 2011 की अवधि में

विभिन्न विभागों को अग्रसारित दो समीक्षाओं एवं 21 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर **परिशिष्ट–25** में दिए विवरण के अनुरूप प्रतीक्षित थे ।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कारवाई की प्रक्रिया विद्यमान हो, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई हो और (ग) लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

पटना **(आर. बी. सिन्हा)**

दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(विनोद राय)**

दिनांक **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**